49

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कोर्ट कैम्प रीवा म०प्र.

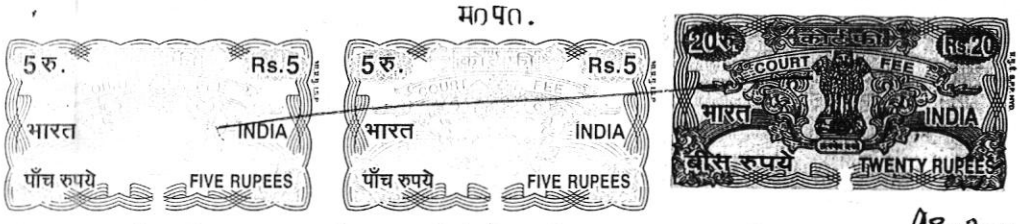

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

RS551-II/16 | RS-301

1- श्रीमती शालू राजदेव पत्नी श्री अशोक कुमार राजदेव

2- अभिषेक पिता श्री अशोक कुमार राजदेव

3- वीरबहादुर पिता श्री मोहनदास

4- संजीव कुमार पिता मोहनदास , सभी निवासी सिंधी कैम्प तह० रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०, ----- पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

शंकरलाल बलवानी पिता श्री भगवानदास बलवानी उम्र 55 साल, निवासी सिंधी कैम्प सतना तह० रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०, --- गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण आवेदन पत्र विरुद्ध नजूल अधिकारी महोदय सतना के प्र०क्र०- 07ए6 /016-017 निर्णय दिनांक 16-11-2016 को निरस्त किये जाने बावत।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता 1959ई.

महोदय,

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण :-

यह कि नजूल आराजी सीट क्र.- 100 ए भू खण्ड क्र.-110 रकबा 4951 वर्ग फिट स्थित सिन्धी कैम्प सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना में स्थित है, जिसके भूमिस्वामी व काबिजदार पुनरीक्षण कर्तागण है। तथा आवासीय मकान बनाकर निवासरत हैं। उक्त भूमि खण्ड का नामांतरण कलेक्टर महोदय सतना ने स्थायी लीज का पट्टा दिनांक 9-4-1991 को दिये थे, तब से राजस्व अभिलेखों में बतौर मालिक भूमि स्वामी दर्ज चले आ रहे है, तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, तथा कभी भी गैरपुनरीक्षण कर्ता ने वर्ष 1979 के बने बक्शीसनामा को किसी भी न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया था, जब उक्त भूमि का नामांतरण वर्ष 1991 मोहनदास के मृत्यु के बाद वारिसगणों के नाम हुआ था। बिना भूमि स्वामी ने ही मोहनदास ने उक्त भूमि खण्ड को स्थानांतरित कर दिये थे, जिससे स्पष्ट साबित होता है कि उक्त बक्शीशनामा अपने आप फर्जी साबित हो जाता है। यदि वास्तविक रूप से गैरपुनरीक्षण कर्ता ने उक्त भूमिमे अपना आवासीय मकान बनाकर निवास

क्र:

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 5551–दो/2016 निगरानी सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-18	आवेदक के अभिभाषक श्री कमलेश्वर तिवारी एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री रामनिहार साहू व्दारा पूर्व पेशी पर प्रस्तुत तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी नजूल अधिकारी सतना के प्रकरण कमांक 7 अ–6/16–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16–11–16 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नजूल अधिकारी के समक्ष आवेदक की मांग आवेदन दिनांक 23–7–2014 अनुसार इस प्रकार की स्थिति है :– " आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109, 110 का.मा. वावत् किये जाने नामान्तरण नगर सतना की नजूल शीट क. 100 ए भूखंड कमांक 110 रकबा 4951 वर्गफुट " अर्थात आवेदक ने नगरीय क्षेत्र स्थित नजूल भूमि (जिस पर रहवासी मकान बना हुआ है) पर म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत नामान्तरण चाहा है जबकि नगरीय क्षेत्र स्थित नजूल भूमियों के अभिलेख का संधारण तथा आवंटन आदि की प्रकिया राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–एक के अंतर्गत की जाती है, जबकि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत नामान्तरण केवल कृषि उपयोग की भूमियों पर किया जाता है। अतः – 1. नजूल अधिकारी तद्नुसार विचार कर निर्णय लें कि क्या वाद विचारित भूमि पर संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत उन्होंने प्रकरण पंजीयत करने में नियम एंव प्रकिया अनुसार कार्यवाही की है। 2. यदि वादित प्रकरण नगरीय क्षेत्र स्थित नजूल भूमि (जिस पर रहवासी मकान बना हुआ है) से संबंधित होने के कारण राजस्व पुस्तक चार–एक के अंतर्गत है, तद्नुसार पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जावे।	

तद्नुसार नजूल अधिकारी सतना व्दारा प्रकरण कमांक 7 अ–6/16–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16–11–16 प्रथम दृष्टयां दोषपूर्ण होने से निरस्त करते हुये निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सदस्य